

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

[Handwritten signature]

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 357] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 31, 1980/श्रावण 9, 1902
No. 357] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 31, 1980/ SRAVANA 9, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1980

सीमा-शुल्क

का. आ. 595(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962
(1962 का 52) की धारा 7 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते
हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना

सं. 75/75-सीमा-शुल्क, तारीख 3 जुलाई, 1975 (12 आषाढ़, 1897 शका) का निम्नीलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अभिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, जयपुर से संबंधित क्रम सं. 2 के सामने, स्तम्भ 3 की मद (ख) की उपमद (6) में, 'पूर्णतः या मुख्यतः सूती हथकरघा और बिजली करघा कपड़े से निर्मित' शब्दों का लोप किया जाएगा ।

[अभि. सं. 159/80-सी. शु./फा. सं. 481/66/78-सी.शु.-7]

ए. के. छाबड़ा, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 1980

CUSTOMS

S.O. 595(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 7 of the Customs Act, 1962, (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 75/75-Customs dated the 3rd July, 1975 (12th Asadha, 1897 Saka), namely :—

In the Table annexed to the said notification, against Serial No. 2 relating to Jaipur, in column 3, in item (b), in sub-item (v) the words "made wholly or mainly from Cotton handloom and powerloom fabrics" shall be omitted.

[Notification No. 159/80-Customs. F. No. 481/66/78-Cus-VII]

Sd/-

A. K. CHHABRA, Dy. Secy.